कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

–:: मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना ::–

क्रमांक / कार्य.अभि. / जल प्रदाय शाखा / निविदा / 2020 / 791 धमतरी, दिनांक 4/7/2020

01.	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिं	–	14/7/2020 कार्यालयीन अवधि तक
02.	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	–	17/7/2020 कार्यालयीन अवधि तक
03.	कोरे निविदा प्रपत्र प्रदान करने की अंतिम तिथि	–	21/7/2020 कार्यालयीन अवधि तक
04.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	28/7/2020 सांय 04.00 बजे तक
05.	निविदा खोलने की तिथि	–	29/7/2020 सायं 04.00 बजे

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये विभिन्न सिविल / मरम्मत कार्य / कम्प्रेसर मशीन से बोर सफाई कार्य / मोटरपंप डालने एवं निकालने का कार्य इत्यादि कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारो से फार्म "A/B/C" मे कार्य सम्पादन हेतु त्री लिफाफा (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि) पद्धति से नगर पालिक निगम कार्यालय के जल प्रदाय शाखा मे स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख में	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06
01	मोटर पंप मरम्मत कार्य।	15.00 लाख	15000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
02	पाईप लाईन विस्तार कार्य।	15.00 लाख	15000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
03	पाईप लाईन लिकेज मरम्मत कार्य।	10.00 लाख	10000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
04	हेण्ड पंप मरम्मत कार्य।	5.00 लाख	5000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
05	मोटर पप डालने एवं निकालने का कार्य।	5.00 लाख	5000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
06	स्पैडल रॉड मरम्मत कार्य।	10.00 लाख	10000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
07	कम्प्रेशर मशीन से बोर सफाई कार्य।	10.00 लाख	10000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
08	मोटर पंप मरम्मत हेतु सामाग्री क्रय कार्य।	10.00 लाख	30000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
09	ट्यूबवेल खनन कार्य (10 नग)	15.00 लाख	15000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
10	पाईप फिटिंग सामाग्री क्रय कार्य।	15.00 लाख	45000.00	750.00	कार्यादेशानुसार
11	विद्युत संबंधी मरम्मत कार्य।	10.00 लाख	10000.00	750.00	कार्यादेशानुसार

उपरोक्त निविदा की सामान्य शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में जल प्रदाय शाखा से प्राप्त की जा सकती है, विभागीय वेबसाईट www.nagarnigamdhamtari.com तथा www.uad.cg.gov.in में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी

पृ.क्रमांक / कार्य.अभि. / जलप्रदाय शाखा / निविदा / 2020 / 792 धमतरी, दिनांक 4/7/2020

प्रतिलिपि –

01. माननीय महापौर / अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
02. प्रभारी सदस्य, जल प्रदाय समिति, नगर पालिक निगम धमतरी।
03. कार्यालय कलेक्टोरेट, जिला – धमतरी।
04. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
05. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
06. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
07. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
08. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त संशोधन सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।
09. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक [illegible] समाचार पत्र को 2X8 सें.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

–:: वित्तीय वर्ष 2020–21 में पेयजल व्यवस्था हेतु निविदा शर्ते ::–

01. कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो)। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।
02. कार्य क्र. 2,3,4,5,7,9 एवं 11 हेतु PWD विभाग में एकीकृत पंजीयन अंतर्गत लायसेंस की जीवित प्रति, कार्य क्र. 1,6,8,10 हेतु गुमास्ता लायसेंस की जीवित प्रति संलग्न करना होगा। उक्त कार्य 1,6,8,10 हेतु के लिए PWD विभाग का पंजीयन मान्य नही होगा।
03. निर्धारित बैंक साल्वेंसी सर्टीफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
04. पेन कार्ड/आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
05. शासन के नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
06. श्रमिकों एवं अन्य कार्य से संबंधित ठेकेदार/फर्म एक माह की पूर्व जानकारी/अनुमति के बिना कार्य बंद नही कर सकेगें, करने की दशा मे निगम नियमानुसार कार्यवाही करने मे सक्षम होगी।
07. पाईप लाईन खोदाई एवं मरम्मत सहित कार्य संतुष्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
08. टिन नंबर के आधार पर दुकान मान्य नही होगा/निविदाकार का स्थानीय स्तर पर संबंधित सामाग्रियों का दुकान होना आवश्यक है। दुकान का स्थानीय पंजीयन होना अनिवार्य हैं।
09. निविदा के साथ सामाग्रियों का सेम्पल देना आवश्यक है।
10. सभी प्रमाण पत्र स्व सत्यापित होना अनिवार्य है।
11. 100.00 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, वार्षिक टर्न ओव्हर की जानकारी सही होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत् नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।
12. उपरोक्त वांछित टेण्डर दस्तावेज कार्यवार पृथक–पृथक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि/समयावधि में प्रेषित करना होगा। अपरिहार्य कारणों से यदि टेण्डर दस्तावेज प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में टेण्डर दस्तावेज प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित तिथि/समयावधि उपरांत प्राप्त टेण्डर दस्तावेज विचारणीय नहीं होगा।
13. उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होगें तथा उनकी निविदा दरें खोली जायेगी। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
14. इसी प्रकार जिन ठेकेदारों/फर्मो को निगम के कार्यो के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र (ब्लैक लिस्ट) किया गया है, उनके द्वारा विज्ञापित कार्य हेतु प्रस्तुत टेण्डर दस्तावेज, ऑनलाईन निविदा दर स्वीकार्य नहीं होगा।
15. निगम में कार्यरत् ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा निगम में पूर्व में लिये गये कार्यो की सभी स्थितियॉं कार्यानुकूल होने के बावजूद यथासमय कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे विज्ञापित कार्यो की निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उनकी निविदा दर विचार योग्य नहीं होगा। उनकी निविदायें नहीं खोली जायेगी।
16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
17. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी) को किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Scanned with CamScanner

18. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन एवं कार्यानुबंध की अवधि समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

19. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। निविदा दर प्रचलित बाजार दर से कम होने की स्थिति में निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रण की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

20. सामाग्री की आपूर्ति हेतु कार्यादेश राशि की उपलब्धता एवं सामाग्री की आवश्यकतानुसार जारी किया जायेगा तथा राशि उपलब्ध होने पर ही प्रदायित सामाग्री का देयक भुगतान किया जायेगा। सामाग्री की आपूर्ति निर्देशित स्थल में तथा कार्यादेश में उल्लेखित अवधि के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के भीतर सामाग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में देयक से यथोचित अर्थदण्ड/पेनाल्टी राशि कटौती किया जा सकेगा।

21. सामाग्रियों की आपूर्ति/ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए अनुबंध तिथि .... तक के लिए होगी। अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार उभयपक्षों की सहमति से आगामी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु ठेकेदार/प्रदायकर्ता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य की अवधि के दौरान कार्यादेश अनुसार सूचित/निर्धारित समयावधि के भीतर एवं संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन नहीं करने, सामाग्रियों की आपूर्ति नहीं करने, निविदा/अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर सामाग्रियों की आपूर्ति/ठेके हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

22. निविदा/सामाग्रियों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम धमतरी

Scanned with CamScanner